मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ– ग्वालियर

निविदा–सूचना

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर, सिटी सेंटर के परिसर में स्थित सर्विस बिल्डिंग में फोटोकॉपी मशीन एवं एस.टी.डी., पी.सी.ओ. बूथ स्थापित कर संचालन करने हेतु वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक अनुबंध किया जाना है। आवेदन करने वाली संस्था का पंजीकरण "Shop and Establishment Act, 1958" के अंतर्गत होना अनिवार्य है। बूथ की स्थापना के लिये प्रदाय की जाने वाले स्थान की न्यूनतम किराया राशि रूपये 8000/– प्रतिमाह होगी तथा बिजली एवं एस.टी.डी./पी.सी.ओ. से संबंधित समस्त व्यय निविदकर्ता द्वारा व्यय किये जावेंगे। आवेदन–पत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय के प्रोटोकॉल अनुभाग से कार्यालयीन समय में रूपये 250/– मात्र जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते है।

उक्त आवेदन–पत्र दिनांक 06.08.2016 को दोपहर 2:30 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। निविदाएं उक्त दिनांक को ही 4:30 बजे खोली जायेंगी। निविदाओं के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को रहेगा। इस संबंध में क्षेत्राधिकार ग्वालियर का होगा। उक्त निविदा सूचना, म.प्र. उच्च न्यायालय, खंडपीठ– ग्वालियर की अधिकृत वेबसाइट www.mphc.in पर भी उपलब्ध है।

(एन.के. सक्सेना)
रजिस्ट्रार/ओ.एस.डी.

प्रस्तावित नियम एवं शर्तें :

1. फोटोकॉपी मशीन एवं एस.टी.डी., पी.सी.ओ. बूथ का संचालन 1 वर्ष की अवधि के लिए ऐसी संस्था को लीज पर दिया जायेगा जो "SHOP & ESTABLISHMENT ACT, 1958" के अंतर्गत पंजीकृत हो।

2. बूथ की स्थापना के लिये प्रदाय की जाने वाले स्थान की न्यूनतम किराया राशि रूपये 8000/— प्रतिमाह होगी । स्थान का निशिचित किराया निविदाकर्ता द्वारा प्रतिमाह 5 तारीख तक जमा करना होगा। दिये गये स्थान की भाड़ेदारी मासिक होगी। किसी भी प्रकार की चूक या कोई शिकायत प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के पूर्व भी भाड़ेदारी समाप्त की जा सकेगी। इसके उपरांत निविदाकर्ता द्वारा बनाये गये पूरे निर्माण को स्वयं के व्यय पर तत्काल हटाना अनिवार्य होगा।

3. लीज रेन्ट अथवा विद्युत व्यय की अदायगी समय पर न होने पर,उसकी वसूली सुरक्षा निधि में से की जा सकेगी।

4. परिसर की स्वच्छता का उत्तरदायित्व संबंधित निविदाकर्ता पर होगा एवं स्वच्छता में कमी पाये जाने पर रूपये 50/— प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा।

5. निविदाकर्ता द्वारा कार्य का संचालन सौहाद्रपूर्ण वातावरण में सुनिश्चित करना होगा।

6. यहकि, निविदाकर्ता द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर दूरसंचार विभाग से टेलीफोन कनेक्शन आदि प्राप्त कर एस.टी.डी./पी.सी.ओ. की सेवा प्रारम्भ करनी होगी एवं स्वयं के व्यय पर ही विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर फोटोकॉपियर मशीन स्थापित करनी होगी।

7. यहकि, निविदाकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि उपरोक्त कार्य हेतु उनके पास आर्थिक क्षमता एवं अनुभव हैं एवं वे उक्त कार्य को उचित ढंग से करने हेतु पूर्णतः समर्थ है।

8. यहकि, निविदाकर्ता का चयन होने की दशा में रूपये 50,000/– की बैंक गारंटी इस आशय की देनी होगी कि वे एस.टी.डी./पी.सी.ओ. एवं फोटोकॉपियर मशीन की स्थापना निर्देशानुसार निर्धारित समय में उपलब्ध करावेंगे। किसी भी प्रकार की चूक होने पर आपकी किरायेदारी माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय, द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

9. यहकि, स्थान का किराया चयन होने एवं आधिपत्य ग्रहण करने के दिनांक से ही देय होगा। साथ ही एक माह का अग्रिम किराये का भी भुगतान करना होगा।

10. यहकि, एस.टी.डी./पी.सी.ओ. एवं फोटोकॉपियर का कार्य माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय, के निर्देशानुसार प्रातः 9.30 से सायं 7.00 के बीच ही सम्पादित किया जा सकेगा। अवकाश की स्थिति में बूथ का संचालन निषेध रहेगा यदि अन्यथा इस हेतु आदेशित न किया गया हो।

हस्ताक्षर

नाम : ....

पता : ....

....

टेलीफोन नं. ....